

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

आदेश क्रमांक 23/20-99 दि-11/21

दिनांक, चण्डीगढ़, 11-9-99

डिप्टी कमिश्नर रण सिंह पब्लिक प्रिमोरियल स्कूल दुजाना [बखर] को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से कक्षाओं स्तर की सम्बद्धता देने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-

1. विद्य तालय को वर्ष 1999-2000 के लिए अर्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।
2. हरियाणा विद्य तालय के प्रधान्य आगामी वर्ष 2000-2001 में अर्थाई मान्यता प्राप्त करने अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द समझा जाएगा।
3. हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1999-2004 की धारा 4 की सभी शर्तों को पूरा करना तथा इसके तहत जो भी नियम बने विद्यालय उनकी पालना करेगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।
4. विद्यालय समय समय पर जारी की जाने वाली विभाग की दिशाओं की पालन करेगा।

पुशान्त महापात्र
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।

पठठांकन क्रमांक-सम-

दिनांक, चण्डीगढ़, 15-9-99

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाई/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, बखर को उनके पत्र क्रमांक स्वा-4-99/2859 दिनांक 2-9-99 के संदर्भ में।
2. मुख्याध्यापक, डिप्टी कमिश्नर रण सिंह पब्लिक स्कूल, दुजाना [बखर]
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092.

अधीक्षक विद्यालय-1, 11/11
हुते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।
Re